

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संज्ञक

दिनांक 13-2-18

विषय:- वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के गठन के संबंध में ।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) में आवेदन Process करने के उपरांत बैंकों के माध्यम से 4,00,000/- (चार लाख) रु तक के स्टूडेंट ऋण का भुगतान किया जाता है । इस योजना के शुरू होने के उपरांत अभी तक अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों को ऋण नहीं दिया जा सका है ।

2. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के सहान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निगम का शिक्षा सहाय कार्यालय तत्काल प्रत्येक जिला के DRCC कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा ।
3. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के निर्माण एवं संचालन के संबंध में निरूपित Memorandum of Association (MoA) तथा Articles of Association (AoA) द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन विहित किया गया है ।
4. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को सुचारु रूप से संचालन एवं कार्यालय प्रबंधन हेतु निम्नांकित पदों का सृजन किया गया है :-

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	स्रोत
1	2	3	4
1	Chief Executive Officer cum Managing Director	1	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
2	General Manager Administration	1	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
3	General Manager Operation	1	अनुबंध
4	Manager Operation	1	अनुबंध
5	Asst. Manager Operation	2	अनुबंध
6	IT Manager	1	अनुबंध
7	Company Secretary	1	अनुबंध
8	Legal Advisor	1	अनुबंध (मुली निविदा)
9	Accounts Manager	1	अनुबंध

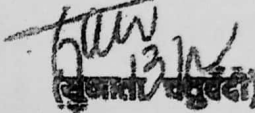
10	Executive Assistant	2	अनुबंध
11	Assistant (Administration)	1	अनुबंध
12	Computer Operator-cum-Typist	1	अनुबंध
13	Assistant Manager BSCC	38	अनुबंध
14	Data Entry Operator	79	अनुबंध

5. उक्त निम्न कंपनी अधिविधन-201, के अधीन सरकारी कंपनी के रूप में निर्धारित की जायेगी।

6. कंपनी के संचालन हेतु 9.5 करोड़ रुपये की राशि authorised एवं paid up equity के रूप में होगी।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

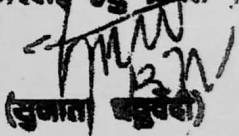
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुजाता अनुबन्धी)

प्रधान सचिव।

क्रमांक-e-gov/DBT-01/2018 1118 दिनांक 13-2-18

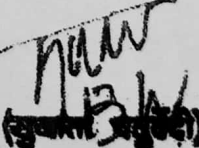
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/ महानिदेशक राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महानिदेशक, उक्त न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुजाता अनुबन्धी)

प्रधान सचिव।

क्रमांक-e-gov/DBT-01/2018 1118 दिनांक 13-2-18

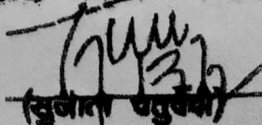
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ढ०), बिहार, पटना/सभी प्रमुख/सभी प्रमुख, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुजाता अनुबन्धी)

प्रधान सचिव।

क्रमांक-e-gov/DBT-01/2018 1118 दिनांक 13-2-18

प्रतिलिपि-सिस्टम एमालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गवर्न संचाल, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार मण्डल के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(सुजाता अनुबन्धी)

प्रधान सचिव।